पत्रांक : टी.टी.प्रे. 1466 / 2017

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना–17

प्रेषक,

निदेशक (शैक्षणिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना–17

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
राजमाता माधुरी देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,
खगड़िया।

पटना, दिनांक 26/09 / 2017

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर उड़ीसा के ERCAPP3558, दिनांक 02.05.2017 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त / सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी :–

शर्तें :–

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा रेगुलेशन–2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् रेगुलेशन–2014 के परिशिष्ट–2 अनुच्छेद–2.2 (ac) में निहित प्रावधानों; यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगा।
3. महाविद्यालय को नामांकन एवं पाठक्रम के संदर्भ में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay अनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका–2 में दिये गये निदेश के आलोक मे निर्धारित मापदंडों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों का समय–समय पर पदाधिकारियों / विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराने हेतु सक्षम होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय–व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विधिवत रूप से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय / वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगी एवं उसके भविष्य निधि कटौती का विवरण संधारित करेगी।

8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जाँचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण–पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निर्गत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
12. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय–समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित बी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017–19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

26.9.17

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना–17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1466 पटना, दिनांक 26/09/2017

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय निदेशक ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26.9.17

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना–17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1466 पटना, दिनांक 26/09/2017

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

26.9.17

निदेशक (शैक्षणिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना–17

पत्रांक ई०सी०पी० 1111
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

उप सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया –संयोजक
2. प्राचार्य/प्राचार्या,डायट, ~~सैसोरपुर~~, खगड़िया–सदस्य
3. डॉ. रीता राय, व्याख्याता, एस.सी.ई.आर.टी., पटना।–राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेन्द्रु पटना –सदस्य
4. श्री वसंत कुमार श्रीवास्तव, सहायक, सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।–सदस्य

पटना,दिनांक 31/5/2017

विषयः– बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अनापत्ति प्रमाण पत्र निगर्मन, सम्बद्धता मापदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली–2016 के आलोक में संस्थान का स्थलीय निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर (उड़ीसा) के पत्रांक 201645039, दिनांक–28.04.2017-02.05.2017 के द्वारा राजमाता माधुरी देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, खगड़िया। को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन की मान्यता प्रदान की गई है।

विषयांकित विनियमावली 2016 में विनिर्दिष्ट प्रावधान के आलोक में NCTE से मान्यता प्रदत प्रशिक्षण संस्थान को सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व चार सदस्यीय टीम द्वारा NCTE नई दिल्ली के REGULATON 2014 एवं डी.एल.एड. कोर्स सम्बद्धता विनियमावली 2016 में निर्धारित NORMS & STANDARD के अनुसार संस्थान का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ जाँच का पुरा विडियों रिकॉर्डिंग निरीक्षण दल की उपस्थिति में करानी है। विडियों रिकॉर्डिंग की व्यवस्था संबंधित प्रशिक्षण संस्था के द्वारा की जाएगी जाँच से संबंधित सी.डी. जाँच दल को उसी दिन उपलब्ध करा देनी है। इस कार्य के लिए आपको गठित दल में संयोजक/सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मनोनित पदाधिकारी सह सदस्य की यह भी जिम्मेवारी होगी कि निरीक्षण दल के सयोजक/सदस्य से समन्वय/सम्पर्क स्थापित कर जाँच कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

अतः, अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण महाविद्यालय के मान्यता दिये जाने से संबंधित NCTE नई दिल्ली की अधिसूचना एवं डी.एल.एड. कोर्स हेतु सम्बद्धता विनियमावली 2016 में निर्धारित NORMS & STANDARD के अनुसार निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन सी.डी. के साथ संलग्न विहित प्रपत्र के कॉलम में सूचना अंकित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, इसके लिये समिति की ओर से वाहन या नियमानुसार यात्रा भत्ता तथा 1500 रुपया मानदेय देय होगा।

अनुलग्नक निरीक्षण से संबंधित विहित प्रपत्र संलग्न।

विश्वासभाजन

उप सचिव 31/5/17
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

ज्ञापांक : ई०सी०पी० 1111 पटना, दिनांक 31/5/2017
प्रतिलिपिः प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव, राजमाता माधुरी देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, खगड़िया। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव 31/5/17
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

ज्ञापांक : ई०सी०पी० 1111 पटना, दिनांक 31/5/2017
प्रतिलिपि : अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को निदेश दिया जाता है कि समिति के विशेष दल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर वाहन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे

उप सचिव 31/5/17
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना